सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 2017/50 दायर दिनांक 03.03.2017

वादी		प्रतिवादीगण
1. बिहारीदान पुत्र स्व0 तख्तदान, जाति–चारण, उम्र–69साल, निवासी–खरवालिया, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. सम्मानकँवर पत्नी स्व0 कमेरदान, उम्र–71साल, 2. गणपतदान पुत्र स्व0 तख्तदान, उम्र–66साल, 3. भोपालसिंह पुत्र तख्तसिंह, उम्र–61साल, समस्त,जाति–चारण, निवासी–खरवालिया, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 4. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–53 व 88 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री अल्ताफ हुसैन, अधिवक्ता, वादी की ओर से।
2. श्री लालसिंह गोदारा, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से।
3. श्री गनी मोहम्मद, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 02 व 03 की ओर से।

–:: अंतिम डिक्री निर्णय ::–

दिनांक **13.09.2017**

वाद के तथ्य इस प्रकार है कि, सरहद मौजा खरवालिया तहसील डीडवाना के आराजी खसरा नम्बर 56 रकबा 43.17 बीघा व खसरा नम्बर 298/56 रकबा 0.05 बीघा गैर मुमकिन बैरा, के बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् वादी का वाद दिनांक 05.05.2017 को प्राथमिक डिक्री सादिर कर विभाजन प्रस्तावित करने का निर्देश तहसीलदार डीडवाना को दिया गया। तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्र क्रमांकः 773 दिनांक 05.07.2017 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित विभाजन पर उभयपक्ष सहमत हैं तथा इसी अनुसार अंतिम डिक्री पारित करने की इस्तदुआ की गयी है। बन्टवारा

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 2017/50
दायर दिनांक 03.03.2017, अंतिम डिक्री निर्णय दिनांक 13.09.2017
बिहारीदान बनाम् सम्मानकँवर, वगैरा।

प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है तथा इनके द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान् सहमत हैं।

अतः तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित विभाजन को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर सरहद मौजा खरवालिया तहसील डीडवाना के आराजी खसरा नम्बर 56 रकबा 43.17 बीघा व खसरा नम्बर 298/56 रकबा 0.05 बीघा गैरमुमकिन बैरा का बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से बन्टवारा कर इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव क्रमांक 773 दिनांक 05.07.2017 में वर्णितानुसार भूमि के पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

विभाजन प्रस्ताव, निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 13.09.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

अंतिम डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 2017/50 दायर दिनांक 03.03.2017

वादी		प्रतिवादीगण
1. बिहारीदान पुत्र स्व0 तख्तदान, जाति–चारण, उम्र–69साल, निवासी–खरवालिया, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. सम्मानकँवर पत्नी स्व0 कमेरदान, उम्र–71साल, 2. गणपतदान पुत्र स्व0 तख्तदान, उम्र–66साल, 3. भोपालसिंह पुत्र तख्तसिंह, उम्र–61साल, समस्त,जाति–चारण, निवासी–खरवालिया, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 4. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत् बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–53 व 88 R.T.Act.

दिनांक 13.09.2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री अल्ताफ हुसैन, अधिवक्ता, वादी, श्री लालसिंह गोदारा, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 01 व श्री गनी मोहम्मद, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 02 व 03, ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब दावा डिक्री सादिर कर सरहद मौजा खरवालिया तहसील डीडवाना के आराजी खसरा नम्बर 56 रकबा 43.17 बीघा व खसरा नम्बर 298/56 रकबा 0.05 बीघा गैरमुमकिन बैरा का बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से बन्टवारा कर इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव क्रमांक 773 दिनांक 05.07.2017 में वर्णितानुसार भूमि के पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो। विभाजन प्रस्ताव, निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–.....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 13.09.2017 को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner